

POLITICAL PARTIES AND ELECTION SYMBOLS

2011

Nirvachan Sadan, Ashoka Road
New Delhi-110001

THE ELECTION SYMBOLS (RESERVATION AND ALLOTMENT) ORDER, 1968

AN ORDER

to provide for specification, reservation, choice and allotment of symbols at elections in Parliamentary and Assembly Constituencies, for the recognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith.

S.O. 2959, dated the 31st August, 1968 – WHEREAS, the superintendence, direction and control of all elections to Parliament and to the Legislature of every State are vested by the Constitution of India in the Election Commission of India;

AND WHEREAS, it is necessary and expedient to provide, in the interest of purity of elections to the House of the People and the Legislative Assembly of every State and in the interest of the conduct of such elections in a fair and efficient manner, for the specification, reservation, choice and allotment of symbols, for the recognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution ¹[read with section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order :-

1. **Short title, extent, application and commencement** – (1) This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.
 - (2) It extends to the whole of India and applies in relation to elections in all Parliamentary and Assembly Constituencies other than Assembly Constituencies in the State of Jammu & Kashmir.
 - (3) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India which date is hereinafter referred to as the commencement of this Order.
2. **Definitions and interpretation** – (1) In this Order, unless the context otherwise requires –
 - (a) “clause” means a clause of the paragraph or sub-paragraph in which the word occurs;
 - (b) “Commission”, means the Election Commission of India constituted under Article 324 of the Constitution;
 - (c) “Constituency”, means a parliamentary constituency or an assembly constituency;

¹ Substituted by Notification No. O.N. 56(E), dated 15.6.1989.

(d) “contested election” means an election in a parliamentary or an assembly constituency where a poll is taken;

(e) “election” means an election to which this Order applies;

¹[(ee) “form” means a form appended to this Order;]

(f) “general election” means any general election held after the commencement of this Order for the purposes of constituting the House of the People or the Legislative Assembly of a State and includes a general election whereby the House of the People or the Legislative Assembly of a State in existence and functioning at such commencement, has been constituted;

(g) “paragraph” means a paragraph of this Order;

²[(h) “political party” means an association or body of individual citizens of India registered with the Commission as a political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951;]

³[(i) “State” includes the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Pondicherry;]

(j) “Sub-paragraph” means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs;

⁴[(jj) “Union Territory” means Union Territory other than the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Pondicherry; and]

(k) Words and expressions used but not defined in this Order but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the rules made thereunder or in the Representation of the People Act, 1951, or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and Rules.

(2) The General Clauses Act, 1897 shall, as far as may be, apply in relation to the interpretation of this Order as it applies in relation to the interpretation of a Central Act.

⁵[3. * * *]

4. **Allotment of symbols** – In every contested election a symbol shall be allotted to a contesting candidate in accordance with the provisions of this Order and different symbols shall be allotted to different contesting candidates at an election in the same constituency.

5. **Classification of symbols** – (1) For the purpose of this Order symbols are either reserved or free.

(2) Save as otherwise provided in this Order, a reserved symbol is a symbol which is reserved for a recognised political party for exclusive allotment to contesting candidates set up by that party.

(3) A free symbol is a symbol other than a reserved symbol.

¹ Inserted by Notification No. 56/97/Judl.III, dated 15.12.1997.

² Substituted by Notification No. O.N.56(E), dated 15.06.1989.

³ Substituted by Notification No. O.N.56/99/Judl.III, dated 08.06.1999.

⁴ Inserted by Notification No. 56/99/Judl.III, dated 08.06.1999.

⁵ Paragraph 3 omitted by Notification No. O.N.21(E), dated 23.3.1992 (w.e.f. 25.3.1992)

¹{6. **Classification of political parties** – (1) For the purposes of this Order and for such other purposes as the Commission may specify as and when necessity therefore arises, political parties are either recognised political parties or unrecognised political parties.

(2) A recognised political party shall either be a National party or a State party.

²[6A. **Conditions for recognition as a State Party** – A political party shall be eligible for recognition as a State party in a State, if, and only if, any of the following conditions is fulfilled:

- (i) At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidates set up by the party have secured not less than six percent of the total valid votes polled in the State; and, in addition, the party has returned at least two members to the Legislative Assembly of that State at such general election; or
- (ii) At the last general election to the House of the People from that State, the candidates set up by the party have secured not less than six percent of the total valid votes polled in the State; and, in addition, the party has returned at least one member to the House of the People from that State at such general election; or
- (iii) At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the party has won at least three percent of the total number of seats in the Legislative Assembly, (any fraction exceeding half being counted as one), or at least three seats in the Assembly, whichever is more; or
- (iv) At the last general election to the House of the People from the State, the party has returned at least one member to the House of the People for every 25 members or any fraction thereof allotted to that State;] or
- ³{(v) At the last general election to the House of the People from the State, or at the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidates set up by the Party have secured not less than eight percent of the total valid votes polled in the State.}

6B. **Conditions for recognition as a National Party** – A political party shall be eligible to be recognized as National party, if, and only if, any of the following conditions is fulfilled:

- (i) The candidates set up by the party, in any four or more States, at the last general election to the House of the People, or to the Legislative Assembly of the State concerned, have secured not less than six percent of the total valid votes polled in each of those States at that general election; and, in addition, it has returned at least four members to the House of the People at the aforesaid last general election from any State or States; or
- (ii) At the last general election to the House of the People, the party has won at least two percent of the total number of seats in the House of the People, any fraction exceeding half being counted as one; and the party's candidates have been elected to that House from not less than three States; or
- (iii) The party is recognized as State party in at least four States.]

¹ Substituted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 01.12.2000.

² Substituted by Notification No. 56/2005/Judl.iii, dated 14.05.2005.

³ Inserted by Notification No. 56/2011/PPS-II, dated 16.09.2011.

6C. **Conditions for continued recognition as a National or State party.** – If a political party is recognised as a State party under paragraph 6A, or as a National party under paragraph 6B, the question whether it shall continue to be so recognised after any subsequent general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned, shall be dependent upon the fulfillment by it of the conditions specified in the said paragraphs on the results of that general election.}

¹[7. **Savings and Interpretation** – ²{(1) Notwithstanding anything contained in paragraph 6A, 6B or 6C, if any political party got recognized, whether before or after the commencement of the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2005, either as a National Party or as a State party, on satisfying the conditions for such recognition as they existed prior to such commencement, the said party shall continue to have and enjoy the status of such National or State party for the purposes of the next general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned, depending on the election(s) which formed the basis for such recognition, and its continued recognition as such National or State party shall thereafter be dependent upon fulfillment by it of the conditions now specified in paragraph 6A or 6B, as the case may be:

Provided that nothing herein shall preclude the Commission from withdrawing the recognition of a party, either as a National Party or as a State Party, if it failed to satisfy any of the conditions for such recognition as they existed prior to, and also after, the commencement of the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2005.}

- (2) For the removal of doubt, it is hereby clarified that the conditions in paragraph 6A or paragraph 6B shall not be deemed to have been satisfied by a political party, -
- (i) if it is newly formed, whether as a result of split in a recognised National or State party or otherwise, and registered with the Commission under section 29A of the Representation of the People Act, 1951, after the last general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned; or
 - (ii) on the joining or taking the membership of that party, by a member of the House of the People, or the Legislative Assembly of a State, after his election to that House or, as the case may be, that Assembly.]

8. Choice of symbols by candidates of National and State Parties and allotment thereof –

- (1) A candidate set up by a National Party at any election in any constituency in India shall choose, and shall be allotted, the symbol reserved for that party and no other symbol.
- (2) A candidate set up by a State Party at an election in any constituency in a State in which such party is a State Party, shall choose, and shall be allotted the symbol reserved for that Party in that State and no other symbol.

¹ Substituted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 01.12.2000.

² Substituted by Notification No. 56/2005/Judl.iii, dated 14.05.2005.

- (3) A reserved symbol shall not be chosen by, or allotted to, any candidate in any constituency other than a candidate set up by a National Party for whom such symbol has been reserved or a candidate set up by a State Party for whom such symbol has been reserved in the State in which it is a State Party even if no candidate has been set up by such National or State Party in that constituency.

¹[9. **Restriction on the allotment of Symbols reserved for State Parties in States where such parties are not recognised** – A symbol reserved for a State Party in any State –

- ²{(a) shall not be included in the list of free symbols for any other State or Union Territory; and
(b) shall not be reserved for any other party which subsequently becomes eligible, on fulfillment of the conditions specified in paragraph 6A, for recognition as a State Party in any other State:

Provided that nothing contained in clause (b) shall apply in relation to a political party, for which the Commission has, immediately before the commencement of the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 1997, already reserved the same symbol which it has also reserved for some other State Party or Parties in any other State or States.}]

²[10 **Concession to candidates set up by a State Party at elections in other States or Union Territories:**
If a political party which is recognised as a State Party in some State or States, sets up a candidate at an election in a constituency in any other State or Union Territory in which it is not a recognised State party, then such candidate may, to the exclusion of all other candidates in the constituency, be allotted the symbol reserved for that party in the State or States in which it is a recognised State Party, notwithstanding that such symbol is not specified in the list of free symbols for such other State or Union Territory, on the fulfillment of each of the following conditions, namely :-

- (a) that an application is made to the Commission by the said party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it, not later than the third day after the publication in the Official Gazette of the notification calling the election;
- (b) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b), (c), (d) and (e) of paragraph 13 read with paragraph 13A in respect of such candidate; and
- (c) that in the opinion of the Commission there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment.

Provided that nothing contained in this paragraph shall apply to a candidate set up by a State Party at an election in any constituency in a State in which that party is not a State Party and where the same symbol is already reserved for some other State Party in that State.]

¹Substituted by Notification No. 56/97/Judl.iii, dated 15.12.1997.

²Substituted by Notification No. 56/99/Judl.iii, dated 8.6.99.

¹[10A. **Concession to candidates set up by an unrecognised party which was earlier recognised as a National or State party** - If a political party, which is unrecognised at present but was a recognised National or State party in any State or Union territory not earlier than six years from the date of notification of the election, sets up a candidate at an election in a constituency in any State or Union territory, whether such party was earlier recognised in that State or Union territory or not, then such candidate may, to the exclusion of all other candidates in the constituency, be allotted the symbol reserved earlier for that party when it was a recognised National or State party, notwithstanding that such symbol is not specified in the list of free symbols for such State or Union territory, on the fulfillment of each of the following conditions, namely:-

- (a) that an application is made to the Commission by the said party for the exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it, not later than the third day after the publication in the Official Gazette of the notification calling the election;
- (b) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b), (c), (d) and (e) of paragraph 13 read with paragraph 13A in respect of such candidate; and
- (c) that in the opinion of the Commission there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment:

Provided that nothing contained in this paragraph shall apply to a candidate set up by the said party at an election in any constituency in a State or Union territory where the same symbol is already reserved for some other National or State party in that State or Union Territory].

² [10B. - **Concession to candidates set up by newly registered (unrecognized) parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back.**

The candidates set up by a registered unrecognized political party at the general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, subject to the fulfillment of the following conditions :-

(A) At a general election to the Legislative Assembly-

- (i) The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the assembly constituencies in the State, subject to a minimum of five constituencies in States having forty or less seats;
- (ii) The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned are intimated by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued ;
- (iii) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;

¹ inserted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

² inserted by Notification No. 56/2011/PPS-ii, dated 16.9.2011.

- (iv) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.

(B) At a general election to the House of the People –

- (i) The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the parliamentary constituencies in the State, in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates, subject to a minimum of two constituencies in States having less than five parliamentary constituencies allotted to the State;
- (ii) The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned are intimated by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued;
- (iii) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;
- (iv) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.

Explanation –

For the removal of doubt, it is hereby clarified that-

- (i) the concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered unrecognized party under this paragraph shall be only a one-time facility either at a general election to the House of the People or to a State Legislative Assembly, as the party may choose, and a party that has availed of this concession once shall not be eligible for the concession in any subsequent general election;
- (ii) the symbol allotted as a common symbol to the candidates of a party under this paragraph shall be available for allotment to candidates set up by the other parties or independent candidates in those other constituencies in which that party has not set up its candidates;
- (iii) if two or more parties give preference for the same symbol, then the question of allotment of the symbol to one of such parties shall be decided by draw of lots in such manner as may be directed by the Commission;
- (iv) if it is not possible for the Commission for any reason to allot a common symbol to the candidates of a party from out of the list of symbols for which it has given its preference under this paragraph, some other symbol from the list of free symbols may be allotted to that party in consultation with that party;
- (v) notwithstanding anything contained in paragraph 10A, a political party which was earlier a recognized political party and which lost its recognition more than 6 years back will also be eligible under this paragraph to the one-time concession of allotment of the symbol which was earlier reserved for the party, at a general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State, held after expiry of six years since the party lost its

recognition, subject to the fulfillment of each of the conditions specified under clause(A) or (B), as the case may be, except the condition in sub-clause (iii) thereof.]

11. Restrictions on the choice and allotment of symbols allotted under paragraph 10¹[or paragraph 10A]–

Notwithstanding anything contained in any of the foregoing provisions where elections are held simultaneously in a parliamentary constituency and in the assembly constituencies comprised in such parliamentary constituency, then–

- (a) if a symbol has been exclusively allotted under paragraph 10¹[or paragraph 10A] to a candidate set up by a political party at any election in the parliamentary constituency, that symbol shall not be allotted to any candidate at any election in any of the said Assembly Constituencies unless such candidate is a candidate set up by that political party; and
- (b) if a symbol has been exclusively allotted under paragraph 10¹[or paragraph 10A] to a candidate set up by a political party at any election in any of the said Assembly Constituencies that symbol shall not be allotted to any candidate at the election in the said Parliamentary Constituency unless such candidate is a candidate set up by that political party.

²[12. **Choice of symbols by other candidates and allotment thereof -** (1) Any candidate at an election in a constituency in any State or Union territory, other than–

- (a) a candidate set up by a National party, or
- (b) a candidate set up by a political party which is a State party in that State, or

³{ (c) a candidate referred to in paragraph-10 or paragraph-10A or paragraph-10B,}

shall choose, and shall be allotted, in accordance with the provisions hereafter set out in this paragraph, one of the symbols specified as free symbols for that State or Union territory by notification under paragraph 17.

- (2) Where any free symbol has been chosen by only one candidate at such election, the returning officer shall allot that symbol to that candidate, and to no one else.
- (3) Where the same free symbol has been chosen by several candidates at such election, then -
 - (a) if, of those several candidates, only one is a candidate set up by an unrecognised political party and all the rest are independent candidates, the returning officer shall allot that free symbol to the candidate set up by the unrecognised political party, and to no one else; and, if, of those several candidates, two or more are set up by different unrecognised political parties and the rest are independent candidates, the returning officer shall decide by lot to which of the two or more candidates set up by the different unrecognised political parties that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls, and to no one else:

¹ inserted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

²Substituted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

³ substituted by Notification No. 56/2011/PPS-II, dated 16.09.2011

Provided that where of the two or more such candidates set up by such different unrecognised political parties, only one is, or was, immediately before such election, a sitting member of the House of the People, or, as the case may be, of the Legislative Assembly (irrespective of the fact as to whether he was allotted that free symbol or any other symbol at the previous election when he was chosen as such member), the returning officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else;

- (b) if, of those several candidates, no one is set up by any unrecognised political party and all are independent candidates, but one of the independent candidates is, or was, immediately before such election a sitting member of the House of the People, or, as the case may be, of the Legislative Assembly, and was allotted that free symbol at the previous election when he was chosen as such member, the Returning Officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else; and
- (c) if, of those several candidates, being all independent candidates, no one is, or was, a sitting member as aforesaid, the returning officer shall decide by lot to which of those independent candidates that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidates on whom the lot falls, and to no one else.]

¹[13. **When a candidate shall be deemed to be set up by a political party.**- For the purposes of an election from any parliamentary or assembly constituency to which this Order applies, a candidate shall be deemed to be set up by a political party in any such parliamentary or assembly constituency, if, and only if,-

- (a) the candidate has made the prescribed declaration to this effect in his nomination paper;

²{(aa) the candidate is a member of that political party and his name is borne on the rolls of members of the party;}

- (b) a notice by the political party in writing, in Form B, to that effect has, not later than 3 p.m. on the last date for making nominations, been delivered to the Returning Officer of the constituency;
- (c) the said notice in Form B is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party, and the President, Secretary or such other office bearer sending the notice has been authorised by the party to send such notice;
- (d) the name and specimen signature of such authorised person are communicated by the party, in Form A, to the Returning Officer of the constituency and to the Chief Electoral Officer of the ³{State or Union Territory concerned}, not later than 3 p.m. on the last date for making nominations; and

¹ Substituted by Notification No. 56/99/Judl.iii, dated 20.05.1999.

² inserted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

³ Substituted by Notification No. 56/99/Judl.iii, dated 8.06.1999.

- (e) Forms A and B are signed, in ink only, by the said office bearer or person authorised by the party: Provided that no facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any such office bearer or authorised person shall be accepted and no form transmitted by fax shall be accepted.]

¹ [13A. **Substitution of a candidate by a political party :-**

For the removal of any doubt, it is hereby clarified that a political party which has given a notice in Form B under paragraph 13 in favour of a candidate may rescind that notice and may give a revised notice in Form B in favour of another candidate for the constituency:

Provided that the revised notice in Form B, clearly indicating therein that the earlier notice in Form B has been rescinded, reaches the Returning Officer of the constituency, not later than 3 p.m. on the last date for making nominations, and the said revised notice in Form B is signed by the authorised person referred to in clause (d) of paragraph 13:

Provided further that in case more than one notice in Form B is received by the Returning Officer in respect of two or more candidates, and the political party fails to indicate in such notices in Form B that the earlier notice or notices in Form B, has or have been rescinded, the Returning Officer shall accept the notice in Form B in respect of the candidate whose nomination paper was first delivered to him, and the remaining candidate or candidates in respect of whom also notice or notices in Form B has or have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party.]

14. **Power of Commission to issue instructions to un-recognised political parties for their expeditious recognition on fulfillment of conditions specified in ²[paragraph 6A or paragraph 6B]. –**

The Commission may issue for the benefit of unrecognised political parties such instructions as it may think necessary for their expeditious recognition when they have ² [fulfilled any of the conditions for such recognition specified in paragraph 6A or paragraph 6B].

15. **Power of Commission in relation to splinter groups or rival sections of a recognised political party –**



When the Commission is satisfied on information in its possession that there are rival sections or groups of a recognised political party each of whom claims to be that party, the Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and hearing such representatives of the sections or groups and other persons as desire to be heard, decide that one such rival section or group or none of such rival sections or groups is that recognised political party and the decision of the Commission shall be binding on all such rival sections or groups.

¹ inserted by Notification No. 56/99/Judl.iii, dated 20.05.1999.

² Substituted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

16. Power of Commission in case of amalgamation of two or more political parties–

- (1) When two or more political parties, one or some or all of whom is a recognised political party or are recognised political parties join together to form a new political party, the Commission may, after taking into account all the facts and circumstances of the case, hearing such representatives of the newly formed party and other persons as desire to be heard and having regard to the provisions of this Order, decide-
 - (a) whether such newly formed party should be a National party or a State Party; and
 - (b) the symbol to be allotted to it.
- (2) The decision of the Commission under sub-paragraph (1) shall be binding on the newly formed political party and all the component units thereof.

¹[16A. **Power of Commission to suspend or withdraw recognition of a recognised political party for its failure to observe Model Code of Conduct or follow lawful directions and instructions of the Commission-**

Notwithstanding anything in this Order, if the Commission is satisfied on information in its possession that a political party, recognised either as a National party or as a State party under the provisions of this Order, has failed or has refused or is refusing or has shown or is showing defiance by its conduct or otherwise (a) to observe the provisions of the 'Model Code of Conduct for Guidance of Political Parties and Candidates' as issued by the Commission in January, 1991 or as amended by it from time to time, or (b) to follow or carry out the lawful directions and instructions of the Commission given from time to time with a view to furthering the conduct of free, fair and peaceful elections or safeguarding the interests of the general public and the electorate in particular, the Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and after giving the party reasonable opportunity of showing cause in relation to the action proposed to be taken against it, either suspend, subject to such terms as the Commission may deem appropriate, or withdraw the recognition of such party as the National Party or, as the case may be, the State Party.]

17. Notification containing lists of political parties and symbols –

- (1) The Commission shall by one or more notifications in the Gazette of India publish lists specifying-
 - (a) the National Parties and the symbols respectively reserved for them;
 - (b) the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the symbols respectively reserved for them in such State or States;

¹ inserted by Election Commission's Notification O. N. 42[E], dated 18.02.1994.

¹ [(bb) xxxxxxxx]

² [(c) the un-recognised political parties and the addresses of their headquarters registered with the Commission;] and

³ [(d) the free symbols for each State and Union Territory.]

(2) Every such list shall, as far as possible, be kept up-to-date.

18. Power of Commission to issue instructions and

directions. The Commission, may issue instructions and directions-

(a) for the clarification of any of the provisions of this Order;

(b) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provisions; and

(c) in relation to any matter with respect to the reservation and allotment of symbols and recognition of political parties, for which this Order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is in the opinion of the Commission necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

⁴ [19. * * *]

¹ Deleted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

² Substituted by Notification No. 56/2000/Judl.iii, dated 1.12.2000.

³ substituted by Notification No. 56/99/Judl.III, dated 8.06.1999

⁴ Paragraph 19 omitted by Notification No. 56/99/Judl.iii, dated 8.6.1999.

¹FORM A

Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political party or REGISTERED UN-RECOGNISED political party.

(See paragraph 13(c) , (d) and (e) of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order, 1968.)

To

1. The Chief Electoral Officer,
.....(State/Union Territory).
2. The Returning Officer for the
.....Constituency.

Subject:- General Elections to from (State/Union Territory) – Allotment of Symbols – Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of/Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District(s)/area (s) constituency/ constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1.		
2.		
3.		
.		
.		
.		
.		
.		

¹ Inserted by Notification No. 56/97/Judl-III, dated 15.12.1997

2. The specimen signatures of the above mentioned person (s) so authorised are given below:-

1. Specimen signatures of Shri

(i) (ii)

(iii)

2. Specimen signatures of Shri

(i) (ii)

(iii)

3. Specimen signatures of Shri

(i) (ii)

(iii)

Yours faithfully,

President/Secretary
President/Secretary
Name of the Party

Place

Date

(Seal of the Party)

NB.

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

¹ FORM B

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY [SEE PARAGRAPHS 13(B), (C) AND (E) AND 13A OF THE ELECTION SYMBOLS (RESERVATION AND ALLOTMENT) ORDER 1968]

To

The Returning Officer for the
.....Constituency.

Subject:- General/bye Election to from (Name of the Constituency) in
.....(State/Union Territory) – setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of _____(party)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named , and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to(7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate,

at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the Constituency	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the Substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7

¹ Inserted by Notification No. 56/97/Judl-III, dated 15.12.1997

- *2. The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri.....as party's approved candidate/Shri/Smt./ Sushrias Party's substitute candidate is hereby rescinded.
- ¹3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,

(Name and Signature of the
Authorised person of the Party)

(Seal of the Party)
(Seal of the Party)

Place

Date

** Score off, if not applicable.*

N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

¹ *Inserted by Notification No. 56/2000/Judl III, dated 01.12.2000*

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968

संसदीय तथा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचनों में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

आदेश

का० आ० 2959, तारीख 31 अगस्त, 1968 संसद् और हर राज्य के विधान-मंडल के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण, भारत के संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में निहित है ;

और, लोकसभा तथा हर राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों की शुद्धता के हित में तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में, प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः भारत निर्वाचन आयोग 1[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 के साथ पठित] संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न सभा संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में के निर्वाचन के संबंध में लागू होता है।
(3) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा; इस तारीख को इसमें इसके पश्चात् इस आदेश का प्रारंभ कहा गया।
2. परिभाषाएं और निर्वचन — (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "खंड" से उस पैरे या उप पैरे का कोई खंड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ;
(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन गठित भारत का निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;
(ग) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;
(घ) "सविरोध निर्वाचन" से किसी संसदीय अथवा सभा निर्वाचन-क्षेत्र से ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है, जिसमें मतदान होता है ;
(ङ) " निर्वाचन" से वह निर्वाचन अभिप्रेत है जिसे यह आदेश लागू होता है ;
2[(डड) "फार्म" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न फार्म है;]
(च) "साधारण निर्वाचन" से कोई ऐसा साधारण निर्वाचन अभिप्रेत है, जो लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के निमित्त इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् किया गया हो, और इसके अंतर्गत वह साधारण निर्वाचन आता जिसके द्वारा लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा, जो ऐसे प्रारंभ होने के समय विद्यमान है और कार्य कर रही है, गठित की गई हो ;
(छ) "पैरा" से इस आदेश का पैरा अभिप्रेत है ;

1 अधिसूचना सं० आ० 56 (अ.) तारीख 15 जून, 1989 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित

2 अधिसूचना सं० 56/97/न्यायिक अनुभाग-।।। तारीख, 15 दिसंबर, 1997 द्वारा अंतः स्थापित

1[(ज) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है ;]

2[(झ) "राज्य" में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी सम्मिलित है ;]

(ज) "उपपैरा" से उस पैरे का उपपैरा अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ;

3(जज) "संघ राज्यक्षेत्र" से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र, पांडिचेरी के अतिरिक्त अन्य संघ राज्यक्षेत्र है ; तथा]

(ट) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या तदधीन बनाए गए नियमों या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या तदधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के संबंध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के संबंध में लागू होता है।

⁴[3.* * * * *]

4. प्रतीकों का आबंटन—निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को इस आदेश के उपबंधों के अनुसार हर सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आबंटित किया जाएगा तथा उसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आबंटित किए जाएंगे।

5. प्रतीकों का वर्गीकरण—(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(2) इस आदेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए, उस दल के द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही अनन्य रूप से आबंटित किए जाने के लिए आरक्षित है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है।

⁵[6. राजनैतिक दलों का वर्गीकरण—(1) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर, आयोग विनिर्दिष्ट करे, राजनैतिक दल या तो मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है अथवा अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल।

(2) कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल या तो राष्ट्रीय दल होंगे या राज्यीय दल।

⁶[6क. राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त करने के लिए शर्त

एक राजनैतिक दल किसी राज्य में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल तभी पात्र होगा यदि व निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो :—

1. अधिसूचना सं० आ० अ० 56 (अ)] तारीख 15 जून, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित

2. अधिसूचना सं० आ० अ० 56/99/न्या०अनु०।।। तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित

3. अधिसूचना सं० आ० अ० 56/99/न्या०अनु०।।। तारीख 8 जून, 1999 द्वारा अंतः स्थापित

4. अधिसूचना सं० आ० अ० 21(अ), तारीख 23 मार्च 1992 के द्वारा पैरा 3 विलोपित (25.03.1992 से प्रभावी)

5. अधिसूचना सं० 56/2000/न्या०।।। तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

- (i) राज्य को विधान सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में उस दल ने उस राज्य की विधानसभा के लिए कम से कम दो सदस्य निर्वाचित कराए हैं, अथवा
- (ii) उस राज्य से लोकसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम एक सदस्य उस राज्य से निर्वाचित कराया है, अथवा
- (iii) उस राज्य की विधानसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल राज्य की विधान सभा के कुल स्थानों में से कम से कम तीन प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो (आधे से अधिक भाग (भिन्न) को एक गिना जाएगा), अथवा पूर्वोक्त साधारण निर्वाचन में विधानसभा के लिए कम से कम तीन स्थानों पर या इनमें से जो भी अधिक हो, पर विजयी रहा हो, अथवा
- (iv) राज्य से लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल ने लोक सभा के लिए उस राज्य को आबंटित प्रत्येक 25 सदस्यों के पीछे या उसके किसी भाग (भिन्न) के लिए कम से कम एक सदस्य निर्वाचित कराया है, अथवा
- ¹[(v) राज्य से लोक सभा या राज्य की विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने उस निर्वाचन में, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के आठ प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों !]

6ख. राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्त –कोई राजनैतिक दल एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि और केवल यदि, निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी होती है :

- (i) लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा के पिछले साधारण निर्वाचन में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने, उनमें से प्रत्येक राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हैं और इसके अतिरिक्त उस साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या राज्यों से पूर्वोक्त पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम चार सदस्य निर्वाचित कराए हैं, अथवा

- (ii) लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोक सभा के लिए कुल स्थानों में से कम से कम दो प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो (आधे से अधिक भाग(भिन्न) को एक गिना जाएगा), और पार्टी के अभ्यर्थी कम से कम तीन राज्यों से लोक सभा के लिए विजयी रहा हो, अथवा
- (iii) कम से कम चार राज्यों में उस दल को राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है ।]

6ग. राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त बने रहने कि लिए शर्तें—यदि कोई राजनैतिक दल पैरा 6क के अधीन राष्ट्रीय दल या पैरा 6ख के अधीन राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, तो यह प्रश्न कि क्या लोक सभा या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधान सभा के किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन के बाद भी ऐसे मान्यताप्राप्त बने रहेंगे, यह उस साधारण निर्वाचन के परिणामों पर उक्त पैरे में विनिर्दिष्ट शर्तों को उनके द्वारा पूरा किए जाने पर निर्भर करता है। }

¹ [7. व्यावृत्ति और निर्वचन— ²[(i) पैरा 6 क, 6 ख या 6 ग में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कोई दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथ आबंटन) (संशोधन), आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्यीय दल के रूप में, इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यमान शर्तों को संतुष्ट करते हुए मान्यता प्राप्त था, तो लोकसभा, या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए होने वाल आगामी साधारण निर्वाचन के प्रयोजन हेतु उक्त दल को ऐसे राष्ट्रीय या राज्यीय दल का स्तर बना रहेगा और वह उसका लाभ प्राप्त करता रहेगा, यह इसकी मान्यता के लिए आधार बने निर्वाचन (निर्वाचनों) पर निर्भर करेगा और उसके बाद राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में जारी इसकी मान्यता इसके द्वारा पैरा 6 क या 6 ख, जो भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी

1. अधिसूचना सं० 56/2000/ न्या०अनु०।।।, तारीख 1.12.2000 द्वारा प्रतिस्थापित
 2. अधिसूचना सं० 56/2005/ न्या०अनु०।।।, तारीख 14.5.2005 द्वारा प्रतिस्थापित

परन्तु यदि वह ऐसी मान्यता के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन)(संशोधन)आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले और उसके बाद भी विद्यमान शर्तों को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में इसकी मान्यता को प्रत्याहरित करने से आयोग को कोई नहीं रोक सकता । }

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 6क या पैरा 6ख की शर्तों को किसी राजनीतिक दल द्वारा तब पूरा किया गया नहीं समझा जाएगा, —

- (i) यदि, यथास्थिति, लोक सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा के अंतिम साधारण निर्वाचन के पश्चात्, उसका नए सिरे से गठन किया जाता है, चाहे ऐसा किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल में विभाजन के परिणामस्वरूप या अन्यथा किया गया हो, और उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ; या
- (ii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या उस विधान सभा में उसके निर्वाचन के पश्चात्, उस दल में सम्मिलित होने पर या उस दल की सदस्यता प्राप्त करने पर।]

8. राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन—

- (1) भारत के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई अभ्यर्थी उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।
- (2) किसी ऐसे राज्य में जिसमें ऐसा दल राज्यीय दल है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया कोई अभ्यर्थी उस राज्य में उस दल का आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।
- (3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल द्वारा, जिसके लिए उस राज्य में, जिसमें वह राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी अभ्यर्थी खड़ा न किया गया हो।

¹[9. राज्यीय दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के उन राज्यों के आबंटन पर निर्बन्धन जिनमें ऐसे दल मान्यताप्राप्त नहीं है—
किसी भी राज्य में किसी राज्यीय दल के लिए आरक्षित प्रतीक:—

¹{(क) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तथा (ख) किसी अन्य दल के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा जो, किसी अन्य राज्य के राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पैरा 6 में निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने पर बाद में पात्र हो जाता है।

बशर्ते खंड (ख) में निहित कुछ भी राजनैतिक दल के संबंध में लागू न होता हो, जिसके लिए आयोग ने, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 1997 लागू होने के तत्काल पहले उसी प्रतीक को पहले ही आरक्षित किया हो जिसे इसने किसी अन्य राज्य या राज्यों में किसी अन्य राज्यीय दल या दलों के लिए भी आरक्षित कर दिया हो।}

- ¹ [10. राज्यीय दल द्वारा अन्य राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचनों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायतें—यदि कोई राजनैतिक दल, जो किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, किसी निर्वाचन में किसी भी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन-क्षेत्र से जहां कि यह एक मान्यताप्राप्त राज्यीय दल नहीं है, कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है तो, उस निर्वाचन-क्षेत्र से अन्य सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए उस दल के लिए उस राज्य या उन राज्यों में, जहां वह मान्यताप्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक, इसके बावजूद कि ऐसा प्रतीक ऐसे अन्य राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, ऐसे अभ्यर्थी को आबंटित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) कि उक्त दल ने, अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर, आयोग को दे दिया है ;
- (ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन-पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि दल ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में पैरा 13-क के साथ पठित पैरा 13 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है, और
- (ग) कि आयोग के विचार में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामंजूर करने का कोई उचित आधार नहीं है :
- बशर्ते कि ऐसे राज्यीय दल द्वारा, ऐसे राज्य में, जहां वह दल राज्यीय दल नहीं है और जहां उस राज्य में किसी अन्य राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले ही आरक्षित है, किसी निर्वाचन में, किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में, खड़े किए गए अभ्यर्थी पर इस पैरा में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा।]

¹[10क किसी अमान्यता प्राप्त दल द्वारा, जो राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में पहले मान्यता प्राप्त था, खड़े किए अभ्यर्थियों को छूट—यदि कोई राजनैतिक दल जो इस समय अमान्यता प्राप्त है, नहीं लेकिन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से छह वर्षों से अनधिक किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में एक राष्ट्रीय या राज्यीय दल था, किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में, किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है, भले ही वह दल उस राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में पहले मान्यता प्राप्त था या नहीं, तब ऐसे अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए वह प्रतीक आबंटित किया जाएगा जो उस दल के लिए पहले आरक्षित था जब वह दल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल था, इस बात के होते हुए भी कि वह प्रतीक ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, बशर्ते निम्नलिखित में से प्रत्येक शर्त पूरी होती हों, अर्थात् :-

- (क) कि उक्त दल ने अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को वह प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर आयोग को दे दिया है ।
- (ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो कि उसे निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया है और यह कि उस दल ने ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पैरा 13क के साथ पठित पैरा 13क खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) की अपेक्षाएँ भी पूरी कर ली है, और
- (ग) कि आयोग के विचार में उसके पास ऐसे आबंटन के लिए इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई यथोचित आधार नहीं है ; बशर्ते किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी निर्वाचन में, उक्त दल द्वारा खड़े किए गए उस अभ्यर्थी पर इस पैरा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, जहाँ पर ऐसा प्रतीक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी दूसरे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले से ही आरक्षित है ।]

²[10ख – रजिस्ट्रीकृत नए दलों (अमान्यताप्राप्त) तथा अमान्यताप्राप्त दलों, जो कि 6 वर्ष से पूर्व मान्यता प्राप्त दल थे, द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत :-

राज्य की विधान सभा या लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हो :-

1. अधिसूचना सं० [56/2000/न्या०।।।](#) तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा अंतःस्थापित

2. अधिसूचना सं० /2011/पी पी एस।। तारीख 16 सितंबर 2011 द्वारा अंतःस्थापित

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में –

- (i) राजनीतिक दल राज्य के विधान सभा निर्वाचनों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) विधान सभा क्षेत्रों पर, और यदि राज्य में विधान सभा में 40 या इससे कम सीट हो, तो कम से कम 5 सीटों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा ;
- (ii) दल द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्याओं तथा नामों के संबंध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) के जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पूर्व दे दी जाती हैं ;
- (iii) निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल, अधिमान्यता के क्रम में, 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथपत्र देगा कि यदि दल उपर्युक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक के आवंटन के हकदार नहीं होंगे; तथा इसके अतिरिक्त, दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।

(ख) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन में—

- (i) राजनैतिक दल राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, और यदि राज्य में 5 या इससे कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हों तो कम से कम दो निर्वाचन क्षेत्रों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा, जिनमें वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रतीक आवंटन करवाना चाहता है ;
- (ii) दल द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्याओं एवं नामों के सम्बन्ध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पहले दे दी जाती है ;
- (iii) निर्वाचनों के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल अधिमान्यता क्रम में 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथ-पत्र देगा कि यदि दल उपरोक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों, में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है, तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक आवंटन के हकदार नहीं होंगे तथा इसके अतिरिक्त दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दण्डात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—

सन्देह दूर करने के लिए एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि:—

- (i) इस अनुच्छेद के अधीन रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आवंटन की सुविधा केवल एक बार होगी, या तो लोकसभा या राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, जैसा भी दल चयन करता है, और जिस दल ने इस छूट का एक बार लाभ उठा लिया है वह तदनन्तर किसी साधारण-निर्वाचन में इस छूट का पात्र नहीं होगा ;
- (ii) इस पैरा के अंतर्गत दल के अभ्यर्थियों को एक ही चिन्ह के रूप में प्रदान किए गए प्रतीक उन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जिसमें उस दल ने अपने अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं किया है, अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों अथवा निर्दलीय अभ्यर्थियों को दिए जाने के लिए उपलब्ध होंगे ;
- (iii) यदि दो या दो से अधिक दल एक ही प्रतीक के लिए प्राथमिकता देते हैं, तब ऐसे दलों में से एक के प्रतीक प्रदान किए जाने का प्रश्न लॉटरी द्वारा इस प्रकार निर्णय लिया जाएगा, जैसा आयोग द्वारा यथा निर्देशित हो ;
- (iv) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों को उन प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक प्रदान करना संभव न हो, जिसके लिए उन्होंने इस पैरा के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता दी है, तो मुक्त प्रतीकों की सूची से कोई अन्य प्रतीक, उस पार्टी के परामर्श से, उस दल को दिया जा सकता है ;
- (v) पैरा 10क में किसी बात के निहित होते हुए भी, राजनीतिक दल जो पहले एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल था तथा जिसने 6 वर्ष पूर्व अपनी मान्यता खो दी थी, वह भी, इस पैरा के अंतर्गत दल की मान्यता रद्द होने के 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन में, उस प्रतीक, जो कि पहले उस दल के लिए आरक्षित था, के आवंटन में एक-बार छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपखण्ड (iii) में दिए गए शर्त के सिवाय खण्ड (क) या (ख), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करें।]

11. ¹[पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन आबंटित प्रतीकों के चयन तथा आबंटन पर निर्बन्धन—

जब कभी किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तथा ऐसे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन साथ-साथ होते हैं, तब पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का पैरा 10 के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी भी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो ;

(ख) यदि उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का ¹[पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो।

²[12. अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन और उनका आबंटन—(1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से, निर्वाचन में—

(क) किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, अथवा

(ख) किसे ऐसे राजनैतिक दल द्वारा, जो उस राज्य में राज्यीय दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थी ; अथवा

³[(ग) पैरा-10 या पैरा-10क या पैरा-10ख में निर्दिष्ट अभ्यर्थी]

से भिन्न कोई अभ्यर्थी इस पैरा में एतद्वारा दिए गए उपबंधों के अनुसार, पैरा 17 के अधीन अधिसूचना द्वारा उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक प्रतीक को चुन लेगा और वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(2) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई मुक्त प्रतीक केवल एक अभ्यर्थी द्वारा चुना गया है, वहां रिटर्निंग आफिसर वह प्रतीक उस अभ्यर्थी को न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा।

(3) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई अभ्यर्थियों द्वारा एक ही मुक्त प्रतीक चुना गया है, वहां—

(क) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तथा शेष सभी निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग आफिसर यह मुक्त प्रतीक उस अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई अभ्यर्थियों में से दो या

1. अधिसूचना सं० [56/2000/न्या० III](#) तारीख 1 दिसंबर द्वारा अंतःस्थापित

2. अधिसूचना सं० [56/2000/न्या० III](#) तारीख 1 दिसंबर द्वारा प्रतिस्थापित

अधिक अभ्यर्थी विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय अभ्यर्थी हैं तो, रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, उन दो या अधिक अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा :

परन्तु जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए ऐसे दो या अधिक अभ्यर्थियों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा, का आसीन सदस्य है, या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वही मुक्त ऐसा सदस्य चुना गया था उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथावा कोई अन्य प्रतीक), वह रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ;

(ख) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है लेकिन सभी अभ्यर्थी निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा का आसीन सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था तब उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा; तथा

(ग) यदि उन कई अभ्यर्थियों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं है या नहीं था, तो रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा।]

¹[13. कोई अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जाएगा—किसी संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से किसी निर्वाचन के प्रयोजन से जिस पर यह आदेश लागू होता है ऐसे किसी संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी को तभी और सिर्फ तभी खड़ा किया माना जाएगा यदि,—

(क) अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन-पत्र में इस आशय की एक निर्धारित घोषणा की है;

2{(कक) अभ्यर्थी उस राजनैतिक दल का सदस्य है और उसका नाम दल के सदस्यों की नामावली में शामिल है;}

(ख) राजनैतिक दल द्वारा लिखित में फार्म में इस आशय की सूचना नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न से अपश्चात् निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को दे दी गई हो ;

(ग) उक्त नोटिस फार्म "ख" में दल के अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और नोटिस भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;

(घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर दल द्वारा फार्म "क" में निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को 3{संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र} के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न के अपश्चात् से सूचित कर दिए गए हैं, और

1. अधिसूचना सं० 56/99/न्या० ।।। तारीख 20 मई 1999 द्वारा प्रतिस्थापित

2. अधिसूचना सं० 56/2000/न्या० ।।। तारीख 1 दिसंबर द्वारा अंतःस्थापित

3. अधिसूचना सं० 56/99/न्या० ।।। तारीख 8 जून 1999 द्वारा प्रतिस्थापित

(ड़) फार्म "क" और "ख", उक्त पदाधिकारी या दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है :

बशर्ते ऐसे किसी प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर या रबड़ स्टॉप आदि के माध्यम से किए हुए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

¹[13क. किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन :-

किसी भी संदेह के निराकरण हेतु इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राजनैतिक दल जिसने पैरा 13 के अधीन फार्म "ख" में अभ्यर्थी के पक्ष में नोटिस दिया है उसे उस नोटिस का विखंडन कर सकता है और निर्वाचन-क्षेत्र के लिए फार्म "ख" में एक संशोधित नोटिस दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है।

बशर्ते फार्म "ख" में पुनरीक्षित सूचना जो स्पष्ट तौर पर उसमें यह बताती हो कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना रद्द की दी गई है और नामांकन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न के अपश्चात् उस निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाती है और फार्म "ख" में उक्त पुनरीक्षित सूचना पर पैरा 13 के खंड (घ) में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं।

साथ ही बशर्ते रिटर्निंग आफिसर को यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के संबंध में फार्म "ख" में एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है और राजनैतिक दल फार्म "ख" में ऐसी सूचनाओं में यह बताने में असफल रहता है कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना या सूचनाएं रद्द कर दी गई हैं। रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के संबंध में, जिसका नामांकन-पत्र उन्हें प्रथमतः दिया गया था, फार्म "ख" में सूचना स्वीकार करेगा और बाकी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को, जिनके संबंध में उन्होंने फार्म "ख" में सूचना या सूचनाएं प्राप्त की थीं, ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा।]

14. ²[पैरा 6क अथवा 6ख] में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाने पर अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उनके शीघ्र मान्यता देने के संबंध में अनुदेश निकालने की आयोग की शक्ति-

आयोग अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा ⁴[पैरा 6क अथवा पैरा 6ख में विनिर्दिष्ट ऐसी मान्यता के लिए कोई भी शर्त पूरी की है] उन्हें शीघ्र मान्यता देने के निमित्त उनके फायदे के लिए ऐसे अनुदेश निकाल सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

15. किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अलग समूहों अथवा प्रतिद्वन्दी गुटों के संबंध में आयोग की शक्ति-जबकि अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के ऐसे प्रतिद्वन्दी गुट अथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है तब आयोग उस मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों अथवा गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहे सुने जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों में से अमुक गुट अथवा समूह वह राजनैतिक दल है या कोई भी वह राजनैतिक दल नहीं है, तथा आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों पर आबद्धकर होगा।

16. दो या अधिक राजनैतिक दलों का समामेलन हो जाने की दशा में आयोग की शक्ति-

(1) जब ऐसे दो या अधिक राजनैतिक दल जिनमें से कोई एक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हो अथवा कुछ या सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हों, कोई एक नया राजनैतिक दल बनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं, तब आयोग, इस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करके, नए बने दल के ऐसे प्रतिनिधियों तथा

1. अधिसूचना सं० 56/99/न्या० ।।। तारीख 20 मई 1999 द्वारा अंतःस्थापित

2. अधिसूचना सं० 56/2000/न्या० ।।। तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहें, सुनने के पश्चात् तथा इस आदेश के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगा—

(क) कि ऐसा नया बना राष्ट्रीय दल होना चाहिए अथवा राज्यीय दल ; तथा

(ख) उसे कौन सा प्रतीक आबंटित किया जाए।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किया गया आयोग का विनिश्चय उस नए बने राजनैतिक दल तथा उसकी सभी घटक यूनिटों लिए आबद्धकर होगा।

¹[16क. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उसकी मान्यता स्थगित करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति—

इस आदेश के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि इस आदेश के उपबंधों के अधीन राजनैतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त हो, यदि अपने आचरण से असफल रहता है, या अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा है या अवज्ञा दर्शा रहा है या अन्यथा (क) आयोग द्वारा जनवरी, 1991 में और समय-समय पर जारी "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देशन के लिए आदर्श आचरण संहिता" के उपबंधों का अनुपालन, या(ख) समय-समय पर आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचनों को बढ़ावा मिल सके या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके, आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद आयोग जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, की मान्यता स्थगित कर देगा या वापस ले लेगा।

17. राजनैतिक दलों तथा प्रतीकों की सूचियों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना—

(1) निर्वाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचनाओं के द्वारा भारत के राजपत्र में—

(क) राष्ट्रीय दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों ;

(ख) राज्यीय दलों, वह राज्य या वे राज्य जिसमें या जिनमें वे राज्यीय दल हैं, तथा ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों;

²(खख) * * * * *

³[(ग) अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के पते आयोग में रजिस्टर है ;]

1. अधिसूचना सं० आ०अ०४२ (अ), तारीख 18.2.1994 द्वारा अंतः स्थापित
2. अधिसूचना सं० 56/2000/आ० अ० 11। तारीख 1.12.2000 द्वारा विलोपित
3. अधिसूचना सं० 56/2000/आ० अ० 11। तारीख 1.12.2000 द्वारा प्रतिस्थापित

¹[(घ) प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचियां प्रकाशित करेगा।]

(2) ऐसी हर एक सूची यथासंभव अद्यतन रखी जाएगी।

18. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति-आयोग-

(क) इस आदेश के उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए ;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले तथा राजनैतिक दलों की मान्यता के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबंध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

²[19 *****]

1. अधिसूचना सं० 56/99/न्या०अनु० 11। तारीख 8.6.1999 द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना सं० 56/99/न्या०अनु० 11। तारीख 8.6.1999 द्वारा पैरा 19 विलोपित

ekU;rkiklr jk"Vh; vFkok jkT;h; ny vFkok jftLVhdr vekU;rk iklr jktufrd ny }kjk [kM fd, x,
mEehnokjk d uke iKkfir dju d fy, ikf/kdr 0;fDr;k d lc/k e lIpuk
[fuokpu irhd vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13 ¼x½ ¼?k½ o ¼M½]

lok e]

1. e[; fuokpu vf/kdkjh¼jkT;@l?k jkT;{k=½
 2. fjVfux vkfQl j]fuokpu&{k=A
- fo"k; ¼&¼jkT;@l?k jkT;{k=½ ld fy, l k/kkj.k
fuokpu irhd dk vkcVu&mEehnokjk d uke iKkfir dju d fy, 0;fDr;k dk ikf/kdr djukA

egkn;]

fuokpu irhd vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13 ¼x½ ¼?k½ o ¼M½ d vulj.k e e>
,rn}kjk ;g l lpr djuk g fd ny }kjk tk fdd* jk"Vh; ny@*.....jkT; e
jkT;h; [ny@*jftLVhdr](#) vekU;rk iklr ny g] fuEufyf[kr 0;fDr@0;fDr;k dk mifjfyf[kr fuokpu e
ny }kjk [kM fd, tku oky iLrkfor mEehnokjk d ukek dk iKkfir dju d fy, ikf/kdr fd;k x;k gA
*tk ykx u gk] m l dkV nA

ukfVl Hk tu d fy, ikf/kdr 0;fDr dk uke	ny e /kcfjr in dk uke	fuokpu&{k=k d uke ft l d lc/k e m l ikf/kdr fd;k x;k g
1	2	3
1-		
2-		
3-		

2. bI idkj ikf/kdr mifjfyf[kr 0;fDr@0;fDr;k d gLrk{kj d ueu uhp fn, x, g %&

1. Jh.....dk ueuk gLrk{kj

$\frac{1}{4}i\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}ii\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}iii\frac{1}{2}$

2. Jh.....dk ueuk gLrk{kj}.....

$\frac{1}{4}i\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}ii\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}iii\frac{1}{2}$

3. Jh.....dk ueuk gLrk{kj}.....

$\frac{1}{4}i\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}ii\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}iii\frac{1}{2}$

Hkonh;]
v/;{k@ l fpo

ny dk ukeA

$\frac{1}{4}ny$ dh ekgj $\frac{1}{2}$

LFkku.....

fnukd.....

fo'k" k n"V0; % $\frac{1}{4}1\frac{1}{2}$;g fjVfux vkfQIj rFkk e[; fuokpu vf/kdkjh dk uefun'ku i= nkf[ky dju dh vfuRe

rkjh[k dk 3.00 ct vij⁰u d i'pkr vo'; n fn;k tk,A

$\frac{1}{4}2\frac{1}{2}$ Qke mi;Dr inkf/kdkjh $\frac{1}{4}$ inkf/kdkfj; $\frac{1}{4}$ }kj k L;kgh l vo'; gh gLrk{kfjr gkuk pkfg,A fd l h Hkh

inkf/kdkjh d vufyfi gLrk{kj vFkok jcj LVkEi vkfn d ek/;e l fd, gLrk{kj Lohdkj ugh
fd, tk,xA

$\frac{1}{4}3\frac{1}{2}$ QDI }kj k Hk t k x;k dkb Hkh Qke Lohdkj ugh fd;k tk,xkA

¹[Qke p[kp
 jktufrd ny }kjk [kM fd, x, vH;fFk;k d ukek dh lpuk
 [fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13¼[k½]x½vkj ¼M-½ vkj 13d
 n[k]

lok e]

1. e[; fuokpu vf/kdkjh.....¼jT;@l?k jT;{k=½

2. fjVfux vkfQlj.....¼fuokpu&{k=½

fo"K; ¼¼jT;@l?k jT;{k=½ l.....

.....d fy, lk/kkj.k fuokpu&mEehnokjk dk [kMk fd;k tkukA

egkn;]

fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 3 ¼[k½] ¼x½ vkj ¼M½ vkj 13d d vulj.k ej
 e¼ny½ dh vkj l ,rn}kjk lpuk nrk g fd og 0;fDr ft ldk fooj.k uhp&

¼i½ LrHk 2 l 4 e fn, x, g mDr ukfer ny dk vuekfnr vH;Fkh gj vkj

¼ii½ og 0;fDr ft ldk fooj.k uhp LrHk 5 l 7 e of.kr gj ny dk LFkkukiUu vH;Fkh g tk vuekfnr
 vH;Fkh d uke&fun'ku i= dh leh{kk d mijkr [kkfjt fd, tku vFkok mld fuokpu l gV tku ij mldk
 LFkku yxk ;fn LFkkukiUu vH;Fkh vHkh Hkh fuokpu yMu okyk vH;Fkh gA

fuokpu&{k= dk uke	vuekfnr vH;Fkh dk uke	vuekfnr vH;Fkh d fir@ekrk dk uke	vuekfnr vH;Fkh dk Mkd irk	LFkkukiUu vH;Fkh dk uke tk vuekfnr vH;Fkh d uke&fun'kr i= dh loh{kk d mijkr [kkfjt fd, tku vFkok mld fuokpu l gV tku d ckn mldk LFkku yxk ;fn LFkkukiUu vH;Fkh vHkh Hkh fuokpu yMu okyk vH;Fkh gA	LFkkukiUu vH;Fkh d fir@ekrk@if r dk uke	LFkkukiUu vH;Fkh dk Mkd dk irk
1	2	3	4	5	6	7

*2. Qke p[kp e ny d vuefnr vH;Fkh d : i e Jh@Jherh@IJh.....ny d LFkkukiUu vH;Fkh d : i e Jh@Jherh@IJh.....d i{k e igy nh xb lpuk ,rn}kjk fo[kfMr dh tkrh gA
 1[3. ;g iekf.kr fd;k tkrk g fd iR;d vH;Fkh ftld uke dk Åij mYy[k fd;k x;k g] bl jktufrd ny dk ,d InL; mldk uke] bl ny d InL;k dh ukekoyh e fof/kor 'kkfey gA]

LFkku.....

rkjh[k.....

Hkonh;

$\frac{1}{2}$ ny d ikf/kdr 0;fDr dk uke vkj gLrk{kj $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ ny dh ekgj $\frac{1}{2}$

*;fn ykx u gk] rk dkV nA

ukV % 1. ukekdu i= nkf[ky dju dh vfre rkjh[k dk 3 ct vij^ou l vi'pkr fjVfux
 vkfQIj d ikl igp tkuk pkfg,A

2. Qke ij mDr of.kr inkf/kdkjh@inkf/kdkfj;k }kjk L;kgh l gLrk{kj gku pkfg,A fd l h inkf/kdkjh }kjk jcm
 LVkEi }kjk gLrk{kj ;k tkyh gLrk{kj Lohdkj ugh fd, tk,xA

3. QDI }kjk Hkttk x;k dkb Hkh Qke Lohdkj ugh fd;k tk,xkA

4. ;fn ykx u gk rk Qke dk ijk 2 dkV n] vkj ;fn ykx gk rk ml mfpr : i l Hkjk tkuk pkfg,A